



अपराध अनुसंधान विभाग

अगस्त- 2019

अंक- 04



अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा 'न्यूजलेटर' का प्रकाशन किया जा रहा है, जो कि एक सार्थक एवं अनुकरणीय पहल है।

पिछले कुछ समय से नशे का प्रसार जिस तेजी से देश, प्रदेश, नगरों और छोटे-छोटे कस्बों के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है वो वास्तव में समाज के लिये एवं पुलिस के लिये चिंताजनक है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु मध्यप्रदेश पुलिस की नारकोटिक्स शाखा द्वारा ऑपरेशन "प्रहार" के तहत नशा मुक्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश पुलिस, डेयरी प्रोडक्ट्स एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की गंभीर घटनाओं को रोकने हेतु अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, इस दिशा में मध्यप्रदेश पुलिस की एस.टी.एफ. टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई है। आशा है कि भविष्य में भी सभी पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित कर अपराधों की रोकथाम एवं सजायाबी हेतु लगातार प्रयास करते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित।



व्ही.के. सिंह, पुलिस महानिदेशक, म.प्र.

महिला अपराध शाखा द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित "कौशल उन्नयन" प्रशिक्षण कार्यक्रम



भोपाल, दिनांक 01 अगस्त, 2019 पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित महिलाओं एवं बच्चों संबंधी अपराध अनुसंधान कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के तीन दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कहा कि "पुलिस अधिकारी अच्छे मनोवैज्ञानिक भी बनें, जिससे पीड़ितों की काउंसलिंग कर उनकी मदद की जा सके" पुलिस का व्यवहार पीड़ित पक्ष के प्रति सदैव संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि पुलिस के पास शिकायत लेकर आने वाले पीड़ित पक्ष की मानसिक स्थिति उस समय सामान्य नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों की विवेचना व्यवसायिक दृष्टिकोण के साथ पूरी गंभीरता से की जाए। फॉरेंसिक साक्ष्य लेने का तरीका सही हो, जिससे न्यायालय में हमारे साक्ष्य खरे उतरे और अपराधियों को दंड मिल सके।

मध्यप्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में सजा दिलाने में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। वर्तमान में म.प्र. में सजा दिलाने में 9 प्रतिशत का इजाफा हुआ है महिलाओं से दुष्कर्म व उत्पीड़न करने वाले 27 अपराधियों को पिछले 15 महीनों के दौरान पुलिस ने मजबूत साक्ष्य रखकर फांसी की सजा दिलवाई।

"दुग्ध उत्पाद अपमिश्रण पर पुलिस की कार्यवाही"



एस.टी.एफ. ग्वालियर संभाग द्वारा दिनांक 19.07.2019 को लहार, जिला भिण्ड तथा अम्बाह, जिला मुरैना में छापामार कार्यवाही करते हुए मानव जीवन के लिए हानिकारक रसायनों का प्रयोग कर नकली दूध, मावा घी, पनीर बनाये जाने से थाना एस.टी.एफ. भोपाल में वन खण्डेश्वरी डेयरी एण्ड फैक्ट्री, अम्बाह जिला मुरैना के मालिक एवं संचालक के विरुद्ध अप.क्र. 11/19 तथा गिराज फूड सप्लायर, लहार जिला भिण्ड एवं गोपाल आईस फैक्ट्री एण्ड चिलिंग सेंटर, लहार जिला भिण्ड के विरुद्ध अप.क्र. 12/19 धारा 420, 272, 273, 120-बी भादवि एवं धारा 51, 59 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कायम किया गया है।

साथ ही अग्रवाल लेबोरेट्री एवं सप्लायर, अम्बाह जिला मुरैना से रिफाइनड ऑइल (सोयाबीन तेल) 500 टिन, रेंजी शैम्पू 200 बोटल, एवं अन्य कैमिकल्स, नवीन सप्लायर सेंटर, लहार जिला भिण्ड से 25 किग्रा. की 91 बोरी ग्लूकोज (माल्टो डेक्सटिन पाउडर), 100 बोटल रेजी शैम्पू एवं 1000 लीटर ऑइल, 20 टैंकर व 11 पिकअप सिंथेटिक दूध से लोडेड जप्त किए गए। पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही की आम जनता द्वारा प्रशंसा की जा रही है।

जिला राजगढ़ थाना नरसिंहगढ़ में दिनांक 04.07.2019 को सूचना मिली थी कि दो महिलाएं बड़े तालाब में पानी में डूब रही हैं, सूचना मिलते ही आनन-फानन में थाना प्रभारी हेमचंद लाडिया अपने थाने के एचसीएम एवं स्टाफ को वाहन में बैठकर घटनास्थल पर पहुंचे जहां मौके पर देखा तो दो महिलाएं जिनमें से एक काफी बुजुर्ग दिखाई दे रही थी, बीच तालाब में पानी में डूब रही थीं तभी पुलिस बल में से प्रभार गुलाब चंद धाकड़ एवं आर. रवि धाकड़ ने बिना समय गंवाए गहरे पानी में छलांग लगा दी और काफी मशक्कत से उन्हें पानी में से बाहर निकाला और दोनों महिलाओं को तालाब में डूबने से बचाकर सकुशल उन्हें बाहर ले आए। महिलाओं को तालाब से निकालने के पश्चात् उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के इस साहसिक कार्य और कर्तव्यनिष्ठता को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी ट्वीट करके सराहा गया।



“सतना पुलिस द्वारा 60 लाख रुपये की नशीली कफ सिरप जप्त”



सतना जिले की थाना कोलगवां पुलिस टीम द्वारा जानकीपुरम् बांस नाका टिकुरिया टोला में दिनांक 10.07.2019 को छापामार कार्यवाही करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक आरोपी संजय ताम्रकार के किराए के गोदाम में अवैध रूप से रखी हुई करीब 60 लाख रुपये की 419 पेट्टी कफ सिरप एवं नशीले कैप्सूल जप्त करने की प्रशंसनीय कार्यवाही की गई। घटना के संबंध में थाना कोलगवां में अप.क्र. 847/10 धारा 5/13 म.प्र. ड्रग्स कंट्रोल एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध होकर विवेचनाधीन है।

खंडवा में हत्या के 8 आरोपियों को 45 सेकंड के वीडियो ने दिलाई उम्रकैद

जिला खंडवा, बहुचर्चित विकास उर्फ पप्पू बंसेले (25) निवासी चीराखदान की हत्या के मामले में न्यायालय ने 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक नाबालिग को भी 3 साल की सजा सुनाई गई है। सुअर चोरी के आरोप में 01 अप्रैल 2016 को मनोज सोनकर और उसके साथियों ने विकास नाम के व्यक्ति को बीच चौराहे पर लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला था। घटना की वीडियो रिकार्डिंग वायरल हो गई थी। आरोपियों को सजा दिलाने में 45 सेकंड का यह वीडियो अहम साक्ष्य माना गया। जिन्हें सजा हुई है, उनमें मनोज सोनकर के अलावा राजदीप सोनकर, आकाश सोनकर, नट्टू सोनकर, तेजवंश सोनकर, जगदीश सोनकर, राजकुमार सोनकर, मनोज पाटील शामिल हैं। घटना के संबंध में थाना कोतवाली खंडवा में अप.क्र. 248/16 धारा 302, 145, 294, 427, 341, 323 भादवि का प्रकरण दर्ज हुआ था।

“जबलपुर पुलिस ने 16 लाख की अफीम के साथ आरोपी को पकड़ा”



आरोपी राजेश परमार

दूसरे प्रदेशों से लाया जाने वाला मादक पदार्थ जबलपुर में खपाया जाता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गुरुवार दिनांक 11.07.2019 को

जिला जबलपुर में एसटीएफ की टीम ने दीनदयाल चौक बस स्टैंड के पास राजस्थान से आए तस्कर मोतीलाल माली को पकड़ कर उसके कब्जा से 16 लाख रुपये कीमत की अफीम बरामद की। एसटीएफ के अनुसार ग्राम बकानी जिला झालाबाड़ राजस्थान निवासी मोतीलाल उर्फ राजू लंबे समय से अफीम लाकर जबलपुर सहित आस-पास के जिलों में सप्लाय कर रहा था। मोतीलाल खेप लंगाकर बस स्टैंड पर उतरा। संदेह होने पर एसटीएफ की टीम ने मोतीलाल का पीछा करते हुए पकड़ लिया। तलाशी लेने पर मोतीलाल को बैग से 4 किलो 300 ग्राम अफीम मिली, जिसकी कीमत 16 लाख रुपये बताई गयी है।

“पैरोल पर छूटे कैदी ने क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर की दोस्त की हत्या”

जिला भोपाल, थाना रातीबड़ के अप.क्र. 318/19 धारा 302, 303, 364, 201, 120-बी भादवि के प्रकरण में दिनांक 28.06.2019 को केन्द्रीय जेल भोपाल से 15 दिन की पैरोल पर छूटे कैदी राजेश परमार ने जेल जाने से बचने और हमेशा के लिये अपनी पहचान छिपाने के लिये अपने ही एक दोस्त को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी कैदी ने टीवी शो “क्राइम पेट्रोल” की तर्ज पर पूरे घटनाक्रम को ऐसे अंजाम दिया, जिससे पुलिस घटना को आत्म हत्या का प्रकरण घोषित कर दे। घटना रातीबड़ थाना क्षेत्र के नीलबड़ इलाके की है। इस सनसनीखेज घटना का खुलासा उस समय हुआ जब बेमौत मारे गए युवक की गुमशुदगी और आरोपी कैदी के मोबाइल फोन की बदलती लोकेशन सामने आई। पुलिस ने आरोपी कैदी राजेश परमार निवासी ग्राम नीलबड़ को चेन्नई से और उसके दोस्त निहाल खान को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है।



इन्दौर में सायबर आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जिला इन्दौर थाना हीरानगर दिनांक 30 जुलाई 2019 शहर में अपराधों पर नियंत्रण के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र के नेतृत्व में थाना हीरानगर की पुलिस टीम ने देश की सायबर सुरक्षा को चुनौती देने वाले एक ऐसे अपराधी गैंग का पर्दाफाश किया जो मोबाइल फोन का मुख्य पहचान कोड आईएमईआई नंबर बदलकर बड़े स्तर पर फ्रॉड कर रहा था। ये गैंग मात्र 200 रुपये में किसी भी मोबाइल का आईएमईआई नंबर बदलकर मोबाइल की पहचान ही परिवर्तित कर देता है। पुलिस टीम द्वारा शहर के विभिन्न दुकानदार व मोबाइल रिपेयर आदि करने वाले आरोपियों को नामजद किया गया जो कि लगातार इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। इनके द्वारा विभिन्न माध्यमों से चोरी गये, लूटे गये एवं गुम हुये मोबाइल देश के विभिन्न शहरों आदि से लाकर आईएमईआई नंबर बदलवाने का बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा था।

गैंग का मास्टर माइंड जितेंद्र एवं उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया साथ ही विभिन्न कंपनियों के 192 मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर ओपन करने का डोंगल, कम्प्यूटर, सीपीयू आदि जप्त किये गये।



इस सराहनीय कार्य के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर महोदय द्वारा टीम को नगद 20 हजार रुपये इनाम दिया गया है।

उज्जैन में कुख्यात गुर्जर गैंग के 07 सदस्य गिरफ्तार



जिला उज्जैन, दिनांक 29 जून 2019 की रात्रि करीब 03 बजे कुख्यात बदमाश रौनक गुर्जर एवं उसके साथी सूरज मीणा की पिंलेश्वर रोड़ उड़ीसा के पास होने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर एवं टीम के सदस्यों द्वारा बदमाश रौनक की कार की घेराबंदी कर दबोचने का प्रयास किया गया, जिस पर रौनक ने पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर किये। रौनक के साथी सूरज ने पुलिस पार्टी पर दो राउण्ड फायर किये, जिसे पुलिस बल की मदद से पकड़कर उसकी पिस्टल कब्जे में ली गई। दिनांक 29 जून, 2019 को ही गुर्जर गैंग के कुख्यात बदमाश अनमोल गुर्जर एवं आशीष शर्मा ने तिरुपति एवेन्यु के किसी मकान में छुपे होने की सूचना पर उक्त मकान पर पहुंचकर दबिश दी गई। बदमाशों ने मकान की छत से कूदकर पुलिस पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया, जिस पर टीम के द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया तथा उनकी पिस्टल कब्जे में ले ली।

उक्त दिनांक को ही गुर्जर गैंग के कुख्यात बदमाश रोशन गुर्जर (रौनक का भाई) को गिरफ्तार किया गया एवं गुर्जर गैंग के 02 अन्य सदस्यों दीपक एवं अजय ठाकुर को महानन्दनगर झुग्गी बस्ती से टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर के नेतृत्व में 30 अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा कुख्यात गुर्जर गैंग के 07 सदस्यों की फायरिंग के बीच अलग-अलग स्थानों पर अदम्य साहस का परिचय देते हुए गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन श्री सचिन अतुलकर के नेतृत्व में पुलिस की चार टीमों द्वारा कुख्यात गुर्जर गैंग के 07 सदस्यों की गिरफ्तारी के साहसिक कार्य पर श्री सचिन अतुलकर को शस्त्र पुरस्कार से एवं टीम के सदस्यों को भी पुरस्कृत करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

बालाघाट में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में दो नक्सली धराशायी

जिला बालाघाट, दिनांक 09.07.2019 को उप निरीक्षक अमित सैय्याम हॉकफोर्स एसटीजी को पुलिस अधीक्षक बालाघाट से सूचना प्राप्त हुई थी कि, 10-12 नक्सलवादी थाना लांजी के नेवरवाही पुजारी टोला प्रेमलाल टेकाम के घर आकर किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना पर सेनानी हॉक फोर्स श्री तरुण नायक, पुलिस अधीक्षक बालाघाट श्री अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में करीब 40 लोगों की 4 टीमें बनाई व बताये गये स्थान की घेराबंदी की गई। रात्रि करीब 1:00 से 1:30 बजे के बीच कुछ व्यक्ति टार्च लेकर बाहर निकले उनकी टार्च की रोशनी में वे व्यक्ति नक्सली वर्दी में हथियार लिये नजर आये, जिन्हें तत्काल पुलिस की पहचान बताकर समर्पण करने के लिये जोर से आवाज दी गई। जिस पर नक्सलियों ने पुलिस को जान से मारने की नियत से तथा हताहत करने हेतु अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस बल ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। कुछ देर पश्चात् जंगल की ओर लोगों के भागने की आवाजें आई, जिस पर पुलिस द्वारा समर्पण के लिये ललकारा गया। नक्सली पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुये भाग गये। फायरिंग रूकने पर इलाके की सर्चिंग में काले कपड़ों में पुरुष नक्सली अशोक उर्फ मंगेश एसएलआर 7.62 बॉडी नं. 167867 के साथ तथा एक महिला नक्सली 315 बोर की रायफल के साथ मृत मिले।

मध्यप्रदेश में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रण में रखने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी जिला बालाघाट एवं सेनानी हॉकफोर्स श्री तरुण नायक के नेतृत्व में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में दो नक्सलियों को धराशायी करने पर दोनों शीर्ष अधिकारियों के उत्साहवर्धन हेतु शस्त्र पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

“पन्ना पुलिस द्वारा अंधे कत्ल के दो प्रकरणों का पर्दाफाश”



जिला पन्ना थाना सलेहा, दिनांक 13.06.2019 को थाना सलेहा की पुलिस टीम द्वारा पुलिस अधीक्षक पन्ना के मार्गदर्शन में ग्राम बिकौरा निवासी दयाराम आदिवासी की हत्या के प्रकरण के अज्ञात आरोपी की पतासाजी 24 घंटे के भीतर कर आरोपी लाल्ले उर्फ वकील पिता हरभजन आदिवासी उम्र 55 वर्ष निवासी बिकौरा को केन नदी के किनारे घेराबंदी कर दस्तयाब कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता पाई।

घटना की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि थाना सलेहा अंतर्गत ग्राम बिकौरा में दिनांक 11.06.2019 से 12.06.2019 की दरम्यानी रात्रि दयाराम आदिवासी पिता बन्धेजा आदिवासी को रात्रि में चारपाई पर सोते समय आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या कर दी थी जिस पर थाना सलेहा में अप.क्र. 54/19 धारा 302 भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

जिला पन्ना थाना बृजपुर की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.06.2019 को मृतक सुखेन्द्रा कोल हत्याकाण्ड के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर आरोपी रामदीन को 12 बोर का देशी कट्टा तथा जिंदा कारतूस एवं मोटरसाइकिल मोबाइल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता पाई है।

घटना की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि, दिनांक 10.06.2019 के प्रातः 07 बजे ग्राम मोहनपुरवा के शासकीय स्कूल के सामने रोड के किनारे एक शव पड़ा होने की सूचना थाना बृजपुर में प्राप्त हुई थी शव की पहचान सुखेन्द्रा कोल पिता सुखदिन्ना कोल उम्र 22 वर्ष निवासी भसूडा के रूप में की गई। मृतक के सिर में गंभीर चोट थी, शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मृतक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी जिस पर थाना बृजपुर में अप.क्र. 105/19 धारा 302 भा.द.वि का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के अनुसंधान पर पाया गया कि मृतक माह जनवरी 2019 में मोहनपुरवा की एक लड़की को लेकर कहीं बाहर चला गया था, इसी बात को लेकर उस लड़की का पति आरोपी रामदीन द्वारा अपने साथी धनू कोल एवं सोनू कोल निवासी ग्राम बगरहा थाना मारकुण्डी जिला चित्रकूट उ.प्र. एवं सह-बाल अपचारी अपने छोटे साले के साथ दिनांक 10.06.2019 की रात्रि करीबन 01 बजे सुखेन्द्र के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

सतना में अंधे कत्ल का खुलासा

जिला सतना, दिनांक 04.07.2019 थाना धारकुण्डी में सूचनाकर्ता संजीव शुक्ला द्वारा सूचना दी गई कि यह अपने चौरहवां वाले खेत में बने कुंए की सफाई मजदूरों से करवा रहा था कि, एक मजदूर तेजवा कोल ने घर में आकर बताया कि कुंए में एक बोरी मिली है। जिसको खोलकर देखने पर बोरी से मनुष्य की हड्डी एवं मुण्डी गिर गयी। सूचना पर मर्ग क्र. 09/19 धारा 174 जाफौ कायम किया जाकर जांच की गई। मर्ग जाँच पश्चात् अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी अज्ञात महिला की मृत्यु कर एवं साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को बोरी में भरकर कुंए में फेंकना पाये जाने से धाराकुण्डी में दिनांक 13.07.2019 को अपराध क्र. 79/19 धारा 302, 201 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान ग्राम प्रतापपुर में अज्ञात गुमशुदा महिला के संबंध में पूछताछ व तलाश की गई, साक्षियों ने ग्राम प्रतापपुर के रामपाल साकेत की पत्नी फूलकुमारी साकेत को करीब 8-9 साल से लापता होने एवं रामपाल द्वारा अपनी पत्नी की तलाश न करने एवं गुमने की कहीं भी रिपोर्ट न करने की बात बताई। रामपाल साकेत को संदेह के आधार पर दिनांक 14.07.2019 को दस्तयाब कर पूछताछ की गई एवं घटना स्थल से जप्तशुदा साड़ी का टुकड़ा एवं सफेद मोती की माला की शिनाख्त मृतक महिला के पिता रामलाल साकेत से कराई गई। संदेही रामपाल साकेत ने पूछताछ पर जुर्म करना स्वीकार किया, उसके द्वारा मेमोरेण्डम में लेख कराया कि करीबन 9 साल पहले यह अपनी पत्नी फूलकुमारी साकेत के चरित्र पर संदेह होने पर अपने घर के अंदर रात करीब 10-11 बजे बांस के डंडे से मारपीट की व डंडे से पत्नी के पेट में मार दिया। जिससे पत्नी फूलकुमारी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, तब इसने शव को छुपाने के लिये इसके घर के पास राख के घूरा में बोरी में भरकर गाड़ दिया एवं करीब 1 साल बाद इसने पुनः मृतिका की लाश को उखाड़ा और बची हुई हड्डियां, कपड़े एवं माला को बांधकर बोरी में भरकर अपने घर के सामने प्रेमलाल शुक्ला के चौरहवां वाले खेत के कुंए में फेंक देना बताया। आरोपी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

परामर्श के बाद समझौते को कानूनी मान्यता

जिला विधिक प्राधिकरण में पहली बार थाने में हुए समझौते को कानूनी मान्यता मिल गई है। जिला विधिक प्राधिकरण के प्रयासों से परामर्श केन्द्र में होने वाले समझौते की सुनवाई कहीं नहीं होगी। समझौतों को कानूनी मान्यता मिलने से लोगों को राहत मिलेगी और पुलिस को कानूनी कार्यवाही करने में मदद मिलेगी। थानों के परामर्श केंद्र लोकहित में काम करते हैं। उनका उद्देश्य लोगों को कानूनी उलझनों से बचाना रहता है। कई बार थानों में हुए समझौते को एक पक्ष कुछ समय बाद मानने से इनकार कर देता है, जिससे विवाद की स्थिति बन जाती है।

खिलचीपुर नकबजनी के आरोपीगण से 22,50,000 नगद एवं

23 तोला सोना बरामद, कुल कीमती 32 लाख

राजगढ़ जिले के थाना खिलचीपुर के अपराध क्रमांक 215/19 धारा 457, 380 भादवि के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री प्रदीप शर्मा के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में गठित विशेष अनुसंधान दल द्वारा आरोपीगण जाकिर एवं बाबर निवासी नारदा बडली तथा शाहिद निवासी सोमाबारिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गया मशरूका नगदी 22 लाख 50 हजार एवं 23 तौला सोना कीमती 08 लाख करीबन, घटना मे प्रयुक्त तीन मोटरसाइकिल कीमती एक लाख 20 हजार एवं आरोपीगणों के तीन मोबाइल कुल मशरूका कीमती 32 लाख बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। पुलिस की इस मेहनत की स्थानीय लोगों द्वारा भी सराहना की गई है।



चिन्हित जघन्य/सनसनीखेज अपराध

जुलाई माह में मासूमों से दुष्कृत्य एवं हत्या के तीन अलग-अलग प्रकरणों में फांसी की सजा



जिला भोपाल, थाना कमलानगर के अप.क्र. 474/19 धारा 363, 366, 376, 377, 364, 302, 201 भादवि, 3/4 पाक्सो एक्ट में दिनांक 08.06.2019 के 20.00 बजे रात आरोपी विष्णु भामोरे पिता ताराचंद भामोरे उम्र 35 साल निवासी खेडी टिक्का खण्डवा, हाल- नेहरू नगर, भोपाल द्वारा 08 साल की अबोध बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर साक्ष्य छुपाने हेतु शव को नाले में फेंकने की वीभत्स एवं जघन्य घटना घटित की गई थी। इस प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में लिया जाकर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में दिनांक 12.06.2019 को चालान पेश किया गया था। दिनांक 16.07.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय में आरोपी को धारा 377 भादवि में आजीवन कारावास व 01 हजार रु. अर्धदण्ड, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 01 हजार रुपये अर्धदण्ड, धारा 363 भादवि में 03 वर्ष कारावास व 01 हजार रुपये अर्धदण्ड एवं धारा 302, 376 (क, ख) भादवि में पृथक-पृथक मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है।

जिला होशंगाबाद, थाना पिपरिया के अप.क्र.- 410/18 धारा 363 भादवि इजाफा 302, 376 ए, बी, 201 भादवि, 3/4, 5 एम/6 पाक्सो एक्ट में दिनांक 31.10.2018 को कु. आशी पुत्री लखन चौरसिया निवासी कस्तूरबा वार्ड पिपरिया को आरोपी दीपक उर्फ नन्हू पिता कुन्दन किरार उम्र 22 साल निवासी ग्राम सिलारी द्वारा चॉकलेट दिलाने का लालच देकर झूला पुल के पास ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर हत्या करने की वीभत्स एवं जघन्य घटना घटित की गई थी। इस प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में लिया जाकर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में दिनांक 19.11.2018 को चालान पेश किया गया था। दिनांक 29.07.2019 को मान. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में आरोपी को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास, 200 रुपये अर्धदण्ड, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास, 300 रुपये अर्धदण्ड, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास, 400 रुपये अर्धदण्ड, धारा 376-ए, बी भादवि व पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक 500 रुपये अर्धदण्ड एवं 302 भादवि व पाक्सो एक्ट में मृत्युदण्ड व 500 रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है। इस कार्य के लिए तत्कालिन पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद सक्सेना एवं पुलिस टीम की पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा प्रशंसा की गई है।

जिला ग्वालियर, थाना बहोड़ापुर के अप.क्र. 260/17 धारा 302, 377, 201, 363, 366 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में दिनांक 28-29.04.2017 की दरम्यानी रात आरोपी योगेशनाथ उर्फ जोगेशनाथ पुत्र बुद्धमेन नाथ सपेरा निवासी नाथ मोहल्ला शंकरनगर द्वारा संजय आदिवासी उम्र 10 साल पुत्र अशोक आदिवासी को बहला-फुसला कर ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य कर गला दबाकर हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को छुपाने की वीभत्स एवं जघन्य घटना घटित की गई थी। इस प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में लिया जाकर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में दि. 02.07.2017 को चालान पेश किया गया था। दि. 06.07.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय में आरोपी योगेश उर्फ जोगेशनाथ को धारा 363 भादवि में 07 साल सश्रम कारावास व 02 हजार रुपये अर्धदण्ड, धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 साल सश्रम कारावास व 02 हजार रुपये अर्धदण्ड एवं धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड व धारा 201 भादवि में 07 साल कारावास व 02 हजार रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।

“पुलिस व प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये दी घर-घर दस्तक”

जिला अनुपपुर, शासन द्वारा प्रदेश में “दस्तक अभियान” दिनांक 10 जून 2019 से संचालित किया जा रहा है। अनुपपुर जिले में नवाचार के रूप में दस्तक अभियान से जुड़कर स्वास्थ्य अमले के साथ महिला-पुरुष पुलिसकर्मी को लगाया जा रहा है। साथ ही थाना प्रभारी, बीट प्रभारी व बीट के कर्मचारीगण अपने-अपने थाना क्षेत्रों में जाकर लोगों के घर-घर दस्तक देकर एवं ग्राम व कस्बों में महिलाओं व बच्चों को एकत्र करके उन्हें सुरक्षात्मक जानकारी दे रहे हैं। अभियान के दौरान बच्चों की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी जैसे- “क्या करें-क्या न करें”, “बच्चों को गुड टच व बेड टच” मोहल्ले में आस-पड़ोस के लोगों के व्यवहार से बच्चों को परिचित कराना, बच्चों को आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी देना, मोहल्ले में तैनात बीट अधिकारी का मोबाइल नंबर रखने व अन्य जानकारी दी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक किरणलता केरकट्टा ने जिले में नया नवाचार प्रारंभ किया है, जहां जिले के सभी थानों में फरियादियों की जानकारी के लिए अलग से डेस्क बनाया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर होने वाली कार्यवाहियों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में लगातार शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर हुई जांच व आरोपियों



की गिरफ्तारियों की जानकारी नहीं होने एवं 7 वर्ष से कम की सजा के प्रकरणों में आरोपियों को जमानत मिल जाने पर उनके द्वारा दोबारा शिकायत की जाती है, जिससे जिले में लिखित शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। जिले के हर थानों एवं चौकियों में एक अलग डेस्क लगाकर एक कर्मचारी को बैठाया जाएगा जो सिर्फ शिकायत पर हुई जांच एवं कार्यवाही सहित आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी शिकायतकर्ता को आसानी से उपलब्ध करायेगा।

भोपाल पुलिस की नशे के खिलाफ सबसे बड़ी कार्यवाही



पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर) जिला भोपाल के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में इतवारा के दो मोहल्लों में भोपाल पुलिस द्वारा कुल 31 आरोपियों, जिनमें 7 महिलाएँ भी शामिल हैं, को दिनांक 01.08.2019 को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में चरस, गांजा एवं देशी शराब जब्त करने में महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई। आरोपियों के विरुद्ध कुल 9 अपराधिक प्रकरण थाना तलैया में पंजीबद्ध किये गये हैं। अपराध क्रमांक 302/19, 304/19, 305/19, 306/19, 308/19, 309/19, 310/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में कुल 21 किलो 500 ग्राम गांजा, अप.क्र. 303/19 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में 52 लीटर देशी शराब, अप.क्र. 307/19 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्टर में 900 ग्राम चरस एवं नगदी कुल 11,83,000/- आरोपियों के कब्जे से पुलिस द्वारा जप्त की गई है।

राजधानी की सबसे बड़ी नशा मंडी इतवारा में गांजे की बड़ी खेप ओड़िशा के मलकानगिरि जिले से लाई जाती थी, ये जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। भोपाल पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही से जहां अपराधियों के दिल में भय एवं डर पैदा हुआ है वहीं आम जनता द्वारा इसे बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है।



“जबलपुर में ग्रामीण बैंकों में चोरी में संलिप्त शातिर गैंग गिरफ्तार”

जिला जबलपुर थाना शहपुरा पुलिस द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण बैंकों में चोरी करके करोड़पति बनी गैंग के पांच सदस्यों को जबलपुर पुलिस की टीम ने यूपी के एटा शहर से पकड़ा है। इस गैंग के सदस्यों ने बैंकों से चोरी किये गये रुपये से हवेलीनुमा मकान व कृषि की जमीनें खरीदी हैं, जिन से जबलपुर के शहपुरा स्थित सहकारी बैंक की चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग के पांच सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। एसपी अमित सिंह ने बताया कि ग्राम ककराला थाना अलापुर जिला बदायूं उत्तरप्रदेश निवासी इसरार उर्फ असरार उर्फ टिन्ना पिता मुख्तयार अली ने देशभर के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित बैंकों में चोरी करने के लिए एक गैंग बनाई। गैंग ने विभिन्न राज्यों में घूम-घूमकर ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में चोरी की वारदातें कर करोड़ों रुपये चोरी किए, गैंग के सदस्यों ने विगत 2 फरवरी को जबलपुर के शहपुरा स्थित सहकारी बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुये 80 लाख रुपये चोरी कर लिये। सहकारी बैंक में हुई चोरी की वारदात को पकड़ने के लिये पुलिस अधिकारियों द्वारा अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। जो चोरों को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश देती रही, इस दौरान खबर मिली कि ग्राम ककराला की गैंग का चोरी की वारदात में हाथ है। जिस पर पुलिस की टीम ने एक संदेही युसूफ अली को पकड़ा। जिसने अपने अन्य साथियों के नाम बताए। थाना शहपुरा में इस संबंध में अप.क्र. 76/19 धारा.457,380 भादवि का प्रकरण दर्ज होकर विवेचना में है।

इंदौर में 18 पिस्टल सहित चार तस्कर पकड़ाये

क्राइम ब्रांच इंदौर को दिनांक 26.06.2019 को अपने मुखबिर तंत्र से सूचना प्राप्त हुई कि सिगनूर जिला खरगोन के सिकलीगरों के द्वारा अवैध हथियार बनाकर इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में बेचना प्रारंभ कर दिया है। इसी तारतम्य में प्राप्त सूचना पर कि सिगनूर जिला खरगोन का रहने वाला एक सिकलीगर कुंदन सिंह अवैध हथियारों की डिलीवरी देने इंदौर आ रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा थाना छत्रीपुरा पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर कुंदन सिंह सिकलीगर को पकड़ा गया इसके थैले में दो 12 बोर देशी कट्टे व ग्यारह 32 बोर पिस्टल, एक जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी कुंदन सिंह ने पूछताछ में इंदौर के एक व्यक्ति को अवैध हथियार बेचना स्वीकार किया। जिसके आधार पर आरोपी सुनील उर्फ बट्टू छत्रीपुरा को पकड़ा गया सुनील के पास से एक रिवाल्वर मय जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी कुंदन सिकलीगर से यह भी पता चला कि उसका साथी सचिन भी इंदौर में किसी को हथियार देने आया है आरोपी से प्राप्त जानकारी के आधार पर सचिन सिंह एवं सतपाल सिंह को थाना क्राइम ब्रांच एवं थाना आजाद नगर की संयुक्त कार्यवाही में पकड़ा। इनके कब्जे से दो देशी पिस्टल मय जिन्दा कारतूस तथा दो 12 बोर देशी कट्टे बरामद हुये। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना आजाद नगर इंदौर में अप.क्र. 336/19, 337/19



धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है तथा वही आरोपी कुंदन सिंह और सुनील उर्फ बट्टू के विरुद्ध थाना छत्रीपुरा इंदौर में अप.क्र. 251/19, 253/19 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा अपने आसूचना सकलन के माध्यम से उपरोक्त बदमाशों को पकड़कर उनके कब्जे से 18 अवैध हथियार एवं 03 जिंदा कारतूस बरामद कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

राजगढ़ पुलिस द्वारा ऑनलाइन सट्टे का खुलासा

जिला राजगढ़ थाना कुरावर के अपराध क्रमांक 241/19 धारा 3/4 पब्लिक गैबलिंग एक्ट 1976 के अंतर्गत माह में चल रहे क्रिकेट विश्वकप को दृष्टिगत रखते हुये, अवैध रूप से सट्टा कारोबार में सक्रिय अपराधियों पर नकेल कसे जाने के उद्देश्य से जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा द्वारा अपने विश्वसनीय सूत्रों को सक्रिय किया जाकर एक विशेष टीम का गठन किया गया उक्त टीम के सदस्य लगातार पुलिस अधीक्षक राजगढ़ के सीधे नियंत्रण में कार्य कर रहे थे। दिनांक 18.06.19 को पूर्व से सक्रिय विश्वसनीय सूत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम लसूड़िया रामनाथ थाना कुरावर में आरोपी कृपाल खाती उसके साथियों के साथ ऑनलाइन सट्टे का अवैध कारोबार कर रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा द्वारा उनके नियंत्रण में काम कर रही गठित टीम को निर्देशित किया गया जिनके द्वारा दबिश देकर आरोपी 1. कृपाल पिता रमेशचंद्र खाती, 2. अंशुमन पिता रमेशचंद्र सोनी, 3. नितेश पिता रमेशचंद्र साहू, 4. विकास पिता रमेशचंद्र वर्मा, 5. नितेश पिता अशोक अग्रवाल को मोबाइल व लैपटाप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करते पकड़ा गया जिनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, लैपटाप, एक रजिस्टर, जप्त किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

उक्त उल्लेखनीय कार्य में उप निरीक्षक राकेश दामले थाना खिलचीपुर एवं टीम के सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही।

शहडोल जोन द्वारा वांछित अपराधियों का ऑनलाइन डाटाबेस तैयार

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पु.मु. मध्यप्रदेश द्वारा सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के स्थायी/उद्घोषित/फरार/इनामी अपराधियों की जानकारी थाना स्तर पर अपलोड करने हेतु "क्रिमिनल इन्फोर्मेशन मॉड्यूल" विकसित किया गया है, जिससे वांछित अपराधियों की जानकारी प्रदेश ही नहीं देश के किसी भी थाने से साझा की जा सकती है। इस कार्य में श्री एस.पी. सिंह, पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन म.प्र. द्वारा विशेष रुचि लेते हुए अपने जोन के जिलों के सभी थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये डाटा एन्ट्री का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर मॉड्यूल के अनुसार वांछित अपराधियों का डाटा एन्ट्री कार्य प्रारंभ कराया गया, इस प्रकार पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन के विशेष प्रयास से वांछित अपराधियों का डाटा बेस तैयार करने की प्रशंसनीय पहल की गई है, जिसमें 15 जुलाई 2019 तक शहडोल जोन के चारो जिलों शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिण्डोरी में 90 प्रतिशत वांछित अपराधियों के डाटा बेस की निम्नानुसार उल्लेखनीय एन्ट्री की जा चुकी है।

क्र.	जिला	कुल वांछित अपराधी/ स्थायी वारंट	कुल ऑनलाइन फीड वांछित अपराधियों/स्थायी वारंट
1	शहडोल	693	586
2	उमरिया	164	131
3	अनूपपुर	499	477
4	डिंडोरी	200	200
	योग	1556	1394

Comparative Three Years Year 2017, 2018 & 2019 (Jan. to June)

IPC							
SN.	Head	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2017	2019/2018
1	Murder	930	898	868	-3.44	-6.67	-3.34
2	Attempt to Murder	1020	919	861	-9.90	-15.59	-6.31
3	Dacoity	40	43	24	+7.50	-40.00	-44.19
4	Prep. for Dacoity	81	88	74	+8.64	-8.64	-15.91
5	Robbery	871	718	629	-17.57	-27.78	-12.40
6	Kidnapping	4736	5160	5845	+8.95	+23.42	+13.28
7	House Breaking	5285	4927	4583	-6.77	-13.28	-6.98
8	Theft	15283	15888	14902	+3.96	-2.49	-6.21
9	Rape	2284	2447	2442	+7.14	+6.92	-0.20
10	Molestation	4807	4987	4324	+3.74	-10.05	-13.29
11	Riot	1004	790	551	-21.31	-45.12	-30.25
12	Other IPC	103183	96469	94167	-6.51	-8.74	-2.39
	TOTAL	139524	133334	129270	-4.44	-7.35	-3.05

Minor Act

SN.	Head	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2017	2019/2018
1	Arms Act	6272	5393	10055	-14.01	+60.32	+86.45
2	NDPS Act	462	695	1413	+50.43	+205.84	+103.31
3	Explosive Act	152	46	80	-69.74	-47.37	+73.91
4	Excise Act	28235	38801	52609	+37.42	+86.33	+35.59
5	Gambling Act	11996	12611	15060	+5.13	+25.54	+19.42
6	M.V.Act	653498	642139	721312	-1.74	+10.38	+12.33
7	E.c.Act	99	55	90	-44.44	-9.09	+63.64
8	Police Act	12462	10309	8600	-17.28	-30.99	-16.58
	Total	713176	710049	809219	-0.44	+13.47	+13.97

Preventive Action

SN.	Head	2017	2018	2019	2018/2017	2019/2017	2019/2018
1	110 CrPC	20346	28061	42549	+37.92	+109.13	+51.63
2	109 CrPC	102	202	67	+98.04	-34.31	-66.83
3	107/116(3) CrPC	227539	256351	320988	+12.66	+41.07	+25.21
4	151 CrPC	40902	54636	39917	+33.58	-2.41	-26.94
5	N.S.A.	230	232	331	+0.87	+43.91	+42.67
6	Externment	1174	1287	2377	+9.63	+102.47	+84.69
	Total	290293	340769	406229	+17.39	+39.94	+19.21

“प्रदेश पुलिस की तीसरी आंख को दिल्ली में मिला सम्मान”



हर घटना पर नजर या हर जगह की मौजूदगी किसी के लिए भी संभव नहीं है। म.प्र. पुलिस ने भी अपने काम की आसानी के लिए सीसीटीवी को अपनी तीसरी आंख का दर्जा देकर उससे सहयोग लेना शुरू किया है। इसकी उपयोगिता और इसके जरिये गंभीर और उलझे हुए मामलों को निराकृत करने में मिली सफलता का आंकड़ा देशभर के विभिन्न प्रदेशों की पुलिस से आगे है। गत दिनों नई दिल्ली में हुए एक गरिमामय आयोजन में आयोजित बी डब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड डिजिटल इंडिया समिट अवॉर्ड-2019 कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पुलिस की इंटीग्रेटेड सिक्युरिटी सर्विलेंस सेवा को बेस्ट सेफ एंड सिक्युर एनवायरमेंट इनवाइट श्रेणी में बिजनेस वर्ल्ड डिजिटल इंडिया अवॉर्ड-2019 से नवाजा गया है। यह अवॉर्ड मध्यप्रदेश पुलिस की तरफ से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) उपेन्द्र जैन एवं पुलिस अधीक्षक (रेडियो) सीसीटीवी नीतू ठाकुर ने ग्रहण किया। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश पुलिस की सीसीटीवी सर्विलेंस योजना के तहत मध्यप्रदेश पुलिस दूरसंचार शाखा द्वारा प्रदेशभर के 60 शहरों में 1966 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जा चुके हैं। जिसके द्वारा वाहनों की चोरी और अन्य संदिग्ध वाहनों के द्वारा अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने का कार्य भी किया जा रहा है।

प्रधान संपादक : श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, पु.म.नि., अ.अ.वि., संपादक : श्रीमती श्रद्धा तिवारी, स.म.नि., अ.अ.वि.

सहसंपादक : श्रीमती शहनाज खान, निरीक्षक अ.अ.वि.

समस्त पुलिस अधीक्षकों से आग्रह है कि आपके जिले में किये जा रहे अच्छे कार्यों की जानकारी अ.अ.वि.

मुख्यालय (क्राइम सेल) को भेजने का कष्ट करें, ताकि उसका प्रकाशन अ.अ.वि. के आगामी न्यूजलेटर में कराया जा सके।